राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांकप.2(3)(अ)सांसू/61–।।/आ.कृ./11463-80 दिनांक : 17.12.2020

नियुक्ति आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.7(08) भर्ती/गोपनीय/2016–17/03 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित अभ्यर्थीयों की सूची में से स्पष्टतः चयनित निम्नांकित अभ्यर्थीयों को राजस्थान कृषि अधिनस्थ सेवा नियम 1978 यथा संशोधित के तहत् एवं वित्त विभाग की अधिसूचना एफ–15(1)एफडी/रूल्स/2017 दि0 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानानुसार तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत शेडयूल– iv के नियम 16 में वर्णित शर्तो एवं पे–मेट्रिक्स एल–11 में कार्यग्रहण तिथि से अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिए नियत वेतन रू0 26500/– प्रतिमाह पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में किया जाता है:–

क्र. स.	नाम एवं पता	वर्ग	वर्ग जिसके विरूद्व चयन	मेरिट कंमाक	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय
1	श्री सोहन लाल	S.C.	SCM	27	01.04.1992	पंचायती राज विभाग, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
2	श्री सुन्दर लाल	G.E., L.D	GENM	28	24.11.1994	कृषि आयुक्तालय, जयपुर

उक्त नियुक्तियॉ निम्नांकित शर्तो के अध्ययधीन होगी:–

1. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।
2. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
3. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 15 आक्समिक अवकाश के अतिरिक्त कोई इन्य अवकाश देय नहीं होगा।
4. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका के आधार पर ही अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
5. उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस भर्ती से संबंधित कोई रिट याचिका यदि माननीय न्यायालयों में दायर है तो उसके निर्णयाधीन रहेगी।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01. 2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं इससे संबंधित अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे। चयनित वेतन अभ्यर्थियों को मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी होगी।
7. पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राज्य सरकार के नियमानुसार नियत पारिश्रमिक या वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।
8. चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होगी।
9. परिविक्षा अवधि में राज्य सरकार की शर्तो/नियमों के अनुसार राजकीय सेवा करनी होगी।

10. नवनियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को पदस्थापित स्थान पर उपस्थिति देने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. उक्त कार्मिक की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमिति नियुक्ति प्रदान की जावेगी। परीविक्षा काल में इनहें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। परिवीक्षाकाल में सेवायें सन्तोषजनक होने की स्थिति में ही नियमानुसार परिवीक्षाकाल बढाया सकता है, या बिना कारण बताए सेवाए समाप्त की जा सकती है।
12. परीवीक्षाकाल के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समय समय पर जारी निर्देशानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा एवं असाधारण अवकाश स्वीकृत होने की स्थिति में नियामानुसार परीवीक्षाकाल बढ जाएगा।
13. जो चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो में कार्यरत है वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेगें।
14. उक्त चयनित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को आदेश प्रसारित हाने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

17/12/2020

(डॉ0 ओमप्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3)(अ)सांसू/61–II/आ.कृ./11463-80 दिनांक : 17/12/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जयपुर।
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जयपुर।
4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
5. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव कृषि ग्रुप–1 विभाग।
8. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि संबंधित चयनित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर सेवाभिलेख का संधारण करें तथा दस्तावेजों की एक–एक प्रमाणित प्रति इनकी निजी पत्रावली में रखे। उक्त चयनित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के मूल पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्रों एवं चिकित्सा प्रमाण पत्रों की पूर्ण जाँच आयुक्तालय स्तर पर की जाकर इनकी निजी पत्रावलियो में संधारित कर लिये गये है। उक्त अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब आयुक्तालय को प्रेषित करावें।
9. समस्त नवनियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारयों को सूचित किया जाता है कि विभागीय वैबसाईट से नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर पदस्थापित कार्यालय में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करते समय मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करें।
10. ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा मु0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित है।
11. श्री सोहन लाल पुत्र श्री अर्जुन राम, 5–ई–40, न्यू हाउसिंग बोर्ड पाली (306401)
12. श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री रामौतार, ग्राम मौसमपुर पोस्ट मोहम्मदपुर तहसील बहरोड जिला अलवर।
13. आरक्षी पत्रावली।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)